प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 02-05-2022*

विषय- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अब्दुल गनी उर्फ मोटे पुत्र श्री कतीबन बंजारा को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13456/सामा-1(8)/82/2021, दिनांक 25-04-2022 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अंतर्गत जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अब्दुल गनी उर्फ मोटे पुत्र श्री कतीबन बंजारा को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, झांसी में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी/झांसी।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झांसी/बाराबंकी।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, बाराबंकी से जिला कारागार, झांसी में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in